न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री हुक्मीचन्द रोहलानियॉ (**RAS**)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 114 / 2021 **GCMS 2021/137**

प्रार्थीगण

1. किरण कंवर पत्नि स्वर्गीय हनुमान सिंह
2. गजेन्द्र सिंह
3. देवेंन्द्र सिंह पिसरान स्वर्गीय हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी रूपपुरा तहसील कुचामन जिला डीडवाना–कुचामन राज.

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

आवेदन पत्थरगढ़ी करवाने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत खसरा नम्बर 1183 / 128 रकबा 0.68 हैक्टर की पत्थरगढ़ी (determination of boundaries) अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

श्री तहसीलदार कुचामनसिटी राज पैरोकार

आदेश

दिनॉक :– 04/04/2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की एकल खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम रूपपुरा पटवार मण्डल रूपपुराटोरडा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1183 / 25 रकबा 0.68 हैक्टर आई हुई है। उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में दिनॉक 05.03.2021 को तहसीलदार कुचामनसिटी के आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा उपस्थित मौतबिरान के रूबरू मौके पर सीमाज्ञान किया जाकर सीमांकन फर्द बना दी गई, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि प्रस्तुत जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में वर्णित अनुसार पत्थरगढ़ी (नेखबंदी determination of boundaries) किया जाना आवश्यक है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम रूपपुरा पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1183 / 25 रकबा 0.68 हैक्टर का फर्द सीमांकन अनुसार राजस्व विभाग कर्मचारियो के माध्यम से पुलिस ईमदाद से पत्थरगढ़ी (determination of boundaries) के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के अनुसार खसरा नम्बर 1183 / 25 रकबा 0.68 हैक्टर किरण कंवर पत्नि हुनामनसिंह, गजेन्द्रसिंह,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 14:40:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

देवेन्द्रसिंह पि. हनुमानसिंह जाति राजपूत सह खातेदारी में दर्ज है, शेष कथन प्रार्थीगण स्वयं सिद्व करे।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से जमबांदी नकल सम्वत 2069–2072, नक्शा ट्रेस, मौका फर्द सीमाज्ञान 05.03.2021 की छाया प्रति प्रस्तुत की। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। वर्तमान जमांबदी नकल निम्न है

ग्राम का नाम :- रूपपुरा	अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- रूपपुराटोरडा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 25
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 146

काश्तकार का नाम:-

1. किरणकंवर पत्नि हनुमानसिंह हिस्सा- 1/3 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-1/3 (खसरा सं- 1183/25 बिना रहन) यूको बैंक शाखा KUCHAMAN CITY

2. गजेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा- 1/3 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-1/3 (खसरा सं- 1183/25 बिना रहन) यूको बैंक शाखा KUCHAMAN CITY

3. देवेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा- 1/3 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-1/3 (खसरा सं- 1183/25 बिना रहन) यूको बैंक शाखा KUCHAMAN CITY,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1182/170	1.3300	चाही 1	1.3300	45.22		नोट नं. 2 से दिनांक 29/01/2021 खसरा संख्या : 1183/25 सभी	
1183/25	0.6800	बारानी 1	0.6800	3.40		काश्तकार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के वाद सं. 14/2021 कार्यालय तहसीलदार भू.अ. कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक भू.अ./112 दि.13/01/2021 की पालना मे स्थगन आदेश है। नोट लगा हुआ है|	
1228/27	2.4946	बारानी 1	2.4946	12.47		नोट नं. 4 से दिनांक 29/03/2022 खसरा संख्या : 1183/25 सभी	
174	0.0400	बारानी 1	0.0400	0.20		काश्तकार पर न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी	
175	0.2800	बारानी 1	0.2800	1.40		आर.टी. एक्ट सं. 316/2021 व कार्यालय तहसीलदार भू.अ./531 दि. 29/03/2022 के अदेशानुसार मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति का	
						स्थगन दर्ज है। नोट लगा हुआ है		
						स्वीक्रत नामांतरकरण : 675 06/10/2022 रहनमुक्त	
						स्वीकृत नामांतरकरण : 678 21/10/2022 बेचान	
						स्वीकृत नामांतरकरण : 680 08/12/2022 रहननामा	
कुल खसरे - 5	4.8246		4.8246	62.69			

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 14:40:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिन्होन प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त खसरा नम्बर 1183/25 रकबा 0.68 हैक्टर में पत्थरगढ़ी जरिये पुलिस इमदाद से करवाये जाने के आदेश प्रदान करावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबंदी ऑनलाईन का अवलोकन किया गया। सम्वत 2073–2076 में ग्राम रूपपुरा पटवारा मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1183/25 रकबा 0.68 हैक्टर बारानी प्रथम में प्रार्थीगण बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनॉक 05.03.2021 निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी एवं पटवारी हल्का रूपपुराटोरड़ा अनुसार उक्त खसरा नम्बर के सीमांकन हेतु पड़ौसी खसरान का अवलोकन किया गया, मौका ग्राम रूपपुरा व जसराना के खसरा नम्बर 27 व 28 की माठ को पुख्ता मानते हुए खसरा नम्बर 27 में से होते हुए खसरा नम्बर 1183/25 का सीमाज्ञान उपस्थित प्रार्थी को कराया गया व सीमा चिन्हो से अवगत कराया गया, मौका स्थिति अनुसार ग्राम रूपपुरा के खसरा नम्बर 25 व 1183/25 के मध्य किसी प्रकार की डोल/सीमा नही है, उपस्थित प्रार्थी गजेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह को खसरा नम्बर 1183/25 की विवादित सीमा का सीमाज्ञान करवाया गया तथा प्रार्थी को आदेशानुसार पाबंद किया कि बिना न्यायालय के आदेश के सीमाओ में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, उपस्थित के समक्ष फर्द मौका तैयार किया गया व हस्ताक्षर करवाये गये। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त खसरा की भूमि प्रार्थीगण की सेपरेट खातेदारी में दर्ज है, जिसका सीमाज्ञान प्रार्थी/खातेदार गजेन्द्रसिंह की उपस्थित में करवाया गया। सीमाज्ञान कराये जाने के पश्चात पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढ़ी जरिये पुलिस इमदाद करवाई जावे। जिससे साफ जाहिर है कि प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार का कोई विवादित पूर्ववत खातेदारान जिनका बंटवारा होकर भूमि पृथक खातेदारी दर्ज हुई है, जिसके कारण विवादित भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने के पश्चात पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यता महसूस की गई है। उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2073–2075 ग्राम रूपपुरा पटवार मण्डल रूपपुराटोरडा तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 1183/25 रकबा 0.68 हैक्टर में अंकित नोट नं. 02 से दिनॉक 29.02.2021 खसरा नम्बर 1183/25 सभी काश्तकार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के वाद सं. 14/2021 कार्यालय तहसीलदार भू.अ.कुचामनसिटी के आदेश भू.अ./112 दि. 13.01.2021 की पालना में स्थगन आदेश है नोट लगा हुआ है। नोट सं. 4 से दिनॉक 29. 03.2022 खसरा संख्या 1183/25 सभी काश्तकार पर न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर निगरानी आर.टी.एक्ट सं. 316/2021 व कार्यालय तहसीलदार भू.अ./531 दि. 29.03.2021 के आदेशानुसार मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन दर्ज है, नोट लगा हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि का विवाद विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में पत्थरगढ़ी का प्रार्थीगण की इच्छानुसार नहीं किया जा सकता है। परन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो अनुरूप प्रकरण का निस्तारण किया जाना है तथा प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 14:40:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

को सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनॉक 05.03.2021 अनुसार अनुतोष भी दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालयो के स्थगन हटने के पश्चात पत्थरगढी किया जाना लोकहित न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः विभिन्न न्यायालयो के स्थगन हटने के पश्चात पत्थरगढ़ी किये जाने का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने काबिल होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम रूपपुरा पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1183/25 रकबा 0.68 हैक्टर में सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनॉक 05.03.2021 अनुसार प्रार्थीगण को पत्थरगढ़ी करवाई जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है तथा आवश्यकता होने पर अपने स्तर से पुलिस थाना कुचामनसिटी से पुलिस इमदाद प्राप्त करे। उक्त पालना विभिन्न न्यायालय के स्थगन हटने के पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रमाणित नकले प्रस्तुत करने पर एवं राजस्व रेकार्ड से स्थगन का नोट हटाकर पालना की जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनॉक 05/05/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हुक्मीचंद रोहलानियॉ RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 14:40:19 IST
Reason: SelfAttested